निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 718/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए. यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इण्डिया) लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री इन्द्र कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल,
   पताः– प्लॉट नं. 153, कंवर नगर, जयपुर।
   एवं फ्लेट नं. एस–1, एस–3 व एफ–2, प्लॉट नं. 120, स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर।
2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री इन्द्र कुमार,
3. श्री हिमांशु वरिन्दानी पुत्र श्री इन्द्र कुमार,
   पताः– 120, गिरनार कॉलोनी, स्कीम नं. 6, वैशाली नगर, जयपुर।
   एवं फ्लेट नं. एस–1, एस–3 व एफ–2, प्लॉट नं. 120, स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर।
4. श्री जयकिशन वरिन्दानी पुत्र श्री इन्द्र कुमार,
5. श्री जितेन्द्र वरिन्दानी पुत्र श्री इन्द्र कुमार,
   पताः– 153, कंवर नगर, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।
6. ओम स्वास्तिक एक्सपोर्ट वास्ते प्रोपराईटर श्री इन्द्र कुमार,
   पताः– 120, गिरनार कॉलोनी, स्कीम नं. 6, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

(मुहर: जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.))

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः– श्री राकेश अजमेरा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 08.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 30.09.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री इन्द्र कुमार, श्रीमती सुनीता देवी एवं श्री हिमांशु वरिन्दानी** के स्वामित्व की संपति **1. फ्लेट नं. एस–1 व एस–3, प्लॉट नं. 120, स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1733.61 वर्गफीट** एवं **2. फ्लेट नं. एफ–2, प्लॉट नं. 120, स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1105 वर्गफीट** को बन्धक रख कर कुल राशि **95,00,000/–**रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **01.08.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर

(हस्ताक्षर)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 95,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 01,09,10,343/— रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री इन्द्र कुमार, श्रीमती सुनीता देवी एवं श्री हिमांशु वरिन्दानी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति 1. फलेट नं. एस–1 व एस–3, प्लॉट नं. 120, स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1733.61 वर्गफीट** एवं **2. फलेट नं. एफ–2, प्लॉट नं. 120, स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1105 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

7. आदेश आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर